संoसंo–1/एलoएचoवीo–02/2017– 65(1)90

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल,
पटना सिटी।

पटना, दिनांक– 30 / 11 /2017

विषयः– महिला स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं के लिए विद्यालय, पटना को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल रु० 25,33,500/–(रुपये पच्चीस लाख तैंतीस हजार पाँच सौ) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, एलoएचoभीo स्कूल, पटना सिटी के पत्रांक–192 दिनांक–14.07.2017 के आलोक में महिला स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं के लिए विद्यालय, पटना, विपत्र कोड– 20–2210051050011 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में संलग्न विवरणी के अनुसार वेतन भत्ते एवं अन्य प्राथमिक ईकाइयों में कुल रु० 25,33,500/–(रुपये पच्चीस लाख तैंतीस हजार पाँच सौ) मात्र के आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/विo(2), दिनांक–17.04.98, 2356/विo(2), दिनांक–12.04.06, 2938/विo(2), दिनांक–08.04.08 एवं 3388/विo(2), दिनांक–18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक, गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–0011– महिला स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं के लिए विद्यालय, विपत्र कोड–20–2210051050011 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित राशि से की जायेगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

क्रमशः

7. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्तों के तहत् किया जाएगा।

8. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।

9. इस राशि की निकासी उप कोषागार, पटना सिटी से की जाएगी।

10. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

11. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

28/11/17

(सच्चिदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–1/एल0एच0वी0–02/2017– 65ध0 /स्वा0, पटना, दिनांक– 30/11/2017

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, उप कोषागार, पटना सिटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1/संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/11/17

सरकार के विशेष सचिव

महिला स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं के लिए विद्यालय, विपत्र कोड–
20–2210051050011 को वित्तीय वर्ष 2017–18 में राशि का अतिरिक्त आवंटन

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	अद्यतन कुल आवंटन	शेष राशि
0011.01.01 वेतन	3342000	2506500	835500	3342000	0
0011.01.03 जीवन यापन भत्ता	4344000	3258000	1086000	4344000	0
0011.01.04 मकान किराया भत्ता	668000	501000	167000	668000	0
0011.01.05 परिवहन भत्ता	101000	75750	25250	101000	0
0011.01.06 चिकित्सा भत्ता	36000	27000	9000	36000	0
0011.01.07 अन्य भत्ता	13000	9750	3250	13000	0
योग– वेतन एवं भत्ते	**8504000**	**6378000**	**2126000**	8504000	**0**
0011.11.01 यात्रा व्यय	10000	5000	5000	10000	0
0011.13.01 कार्यालय व्यय	50000	25000	25000	50000	0
0011.13.04 विद्युत प्रभार	500000	500000	0	500000	0
0011.13.06 वर्दी/पोशाक	50000	25000	25000	50000	0
0011.14.01 किराया महसूल एवं कर	200000	100000	100000	200000	0
0011.20.03 प्रशिक्षण व्यय	5000	2500	2500	5000	0
0011.28.01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	0	0	0	0	0
0011.28.02 संविदा सेवायें	1000000	750000	250000	1000000	0
कुल योग :–	**10319000**	**7785500**	**2533500**	**10319000**	**0**

(रूपये पच्चीस लाख तैतीस हजार पाँच सौ)

65(i)वि0
30-11-17

28/11/17
सरकार के विशेष सचिव